सत्यमेव जयते

संख्या– 3937 /जी0एस0(शिक्षा)/**A16-18**/2024

प्रेषक,

रीना जोशी
कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय,
अल्मोड़ा।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक : 14 अक्टूबर, 2025

महोदय,

कृपया आपके द्वारा अस्थाई सम्बद्धता पोर्टल पर प्रस्ताव क्रमांक 230523114836 तथा प्रस्ताव क्रमांक 240110021849 के माध्यम से राज्यपाल सचिवालय को प्रेषित निम्नलिखित प्रस्ताव का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त सन्दर्भ के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्था, निरीक्षण मण्ड़ल, कुलपति व कुलसचिव, सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 की धारा–33(1) के अधीन निम्नवत् संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्नवत् उपबन्धों के साथ पूर्वानुमोदन प्रदान किया गया है :–

संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम	शैक्षिक सत्र एवं सीट संख्या	
		2023–24	2024–25
राजकीय आदर्श महाविद्यालय, देवीधुरा, चम्पावत	बी0ए0 (हिन्दी, संस्कृत, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र व अर्थशास्त्र)	160	240
	बी0एससी0 (गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान व जन्तु विज्ञान)	30 प्रति विषय	40 प्रति विषय
	एम0ए0 (हिन्दी राजनीति विज्ञान व समाजशास्त्र) (नवीन अस्थाई सम्बद्धता)	—	60 प्रति विषय

(1) महाविद्यालय में फैकल्टी मानकानुसार पूर्ण नहीं हैं। छात्रहित में फैकल्टी का पूर्ण होना अति–आवश्यक है। इस सम्बन्ध में उच्च शिक्षा निदेशालय तथा विश्वविद्यालय को निदेशित किया जाता है कि महाविद्यालय में रिक्त शिक्षकों के पदों पर भर्ती की कार्यवाही नियमानुसार तीन माह के भीतर पूर्ण कराई जायें।

(2) नियामक संस्था, राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों/उपबन्धों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता के आदेश निर्गत करे व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ

उपलब्ध कराये। अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव नियामक संस्था, शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायें अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्ताव पर विचार नही किया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा।

(3) यदि कोई सूचना या तथ्य भविष्य में गलत पाया जाता है, तो निर्गत अनुमति/सम्बद्धता को निरस्त कर संस्थान के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीय,

Digitally signed by
REENA JOSHI
Date: 14-10-2025 12:18:52

(रीना जोशी)
कुलाधिपति के अपर सचिव।

संख्या– 3937 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/**A16-18** /2024 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य/निदेशक, संबंधित संस्थान।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Shri Laxman Ram Arya
Date: 14-10-2025 13:20:37

(लक्ष्मण राम आर्य)
कुलाधिपति के उपसचिव।